



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.ज.-II/2012.13/प्रे. 5285 दिनांक : 11/3/13


आदेश

विषय:- विद्युत अधिनियम-2003 में निहित प्राक्धानानुसार प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं वैधानिक दायित्व (Civil Liability) के लिए ली जाने वाली राशि की गणना कर नोटिस जारी करने का प्रपत्र (Format).

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में वैधानिक दायित्व (Civil Liability) एवं प्रशमन राशि (Compounding charges) लिये जाने के संदर्भ में आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.-517 के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में विद्युत चोरी में पाये गये व्यक्तियों को उनके द्वारा वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि निर्धारित अवधि में जमा करवाने हेतु दिये जाने वाले नोटिस का प्रारूप पूर्व में आदेश वाणिज्य अ.ज.-326 एवं आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.-330 के तहत निर्धारित किया गया था, जिसका संशोधित प्रारूप अनुलग्नक "अ" अनुसार पुनः निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.-326 एवं आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.-330 को निष्प्रभावी (Surpersede) करते हुए जारी किया जाता है।

आज्ञा से

 (जी.आर. चौधरी)
 मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/शूझंनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम.....को अतिरिक्त..... प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. मंडारी, आई.ए.एस, (रिटल), जयपुर।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रुद्राक्ष एनर्जी, जयपुर।
11. डॉ. कं. एल. जैन, सचिव, भवदत्तलाल, जयपुर।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टस्ट सोसाइटी, जयपुर।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, (), अजमेर डिस्कॉम.....
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (), अजमेर डिस्कॉम.....
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

मुख्य अभियन्ता (वर्णज्य)
(mhs)



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय जांच अधिकारी

क्र० अ.वि.वि.नि.लि./ / /एफ. /प्रे० दिनांक

नोटिस

प्रेषित,

श्री _____ पुत्र श्री _____ ग्राम _____
तहसील/जिला _____ पुलिस थाना _____ उपभोक्ता खाता सं० _____
/ गैर उपभोक्ता वी.सी.आर. नं. _____ दिनांक _____ श्रेणी _____
सम्बद्ध भार _____ स्वीकृत भार _____ जांच अधिकारी _____
अभियन्ता _____ अ.वि.वि.नि.लि. _____ ।

आपके _____ स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में _____ को
सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत की चोरी
करना पाया गया है, जो कि कानूनन अपराध है।

विद्युत चोरी का विवरण सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या _____ दिनांक _____ जो
मौके पर तैयार किया गया है, संलग्न प्रतिलिपि में दिया गया है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के
अन्तर्गत, प्रथम अपराध के लिए प्रशमन का प्रावधान है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के
लिए रु० _____, प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा
135 के अन्तर्गत रु० _____ अनन्तिम (प्रोविजनल) सिविल लाइबिलिटी की राशि सात दिवस के
भीतर सहायक अभियन्ता (_____), अ.वि.वि.नि.लि. _____ के कार्यालय में जमा करवायें
अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न-

जांच अधिकारी
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि-

1. सहायक अभियन्ता (_____), अजमेर डिस्ट्रिक्ट, _____ ।

जांच अधिकारी